न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

अपील सं0 53/2017

1. कमलेश मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पापड़दा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा ..रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.5.2017 द्वारा जिला रसद अधिकारी, दौसा अन्तर्गत मुकदमा नंबर 40/2017 बउनवानी प्रकरण सरकार बनाम कमलेश मीना।

उपस्थितः 1.श्री दुर्गाप्रसाद सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः 05.11.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 08.5.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान द्वारा कमलेश मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पापडदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा की दिनांक 07.2.2017 को जांच की जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 09.2.2017 को जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष पेश की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण सं0 40/2017 दर्ज कर अग्रिम आदेशों तक के लिये डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया व अपीलांट डीलर को कार्यवाही अन्तर्ग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 नोटिस जारी किया। जिसका जवाब अपीलांट डीलर द्वारा समस्त वास्तविक तथ्यों व दस्तावेजात सहित अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परन्तु फिर भी जिला रसद अधिकारी ने वास्तविक तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत जाकर अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार अनियमितताओं का आरोप प्रमाणित नहीं होते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने व 1000/-रूपये प्रतिभूति की राशि जब्त सरकार करने का निर्णय दिनांक 08.5.2017 को पारित कर दिया गया। पुलिस थाना नांगल राजावतान द्वारा 61 कट्टे गेहूँ के जब्त किये गये जो हाथ से सिले हुए थे।

जिस पिकअप गाड़ी से गेहूँ के कट्टे जब्त किये है उसके वाहन चालक योगेश कुमार मीना पुत्र श्री सुखराम मीना ने भी अपने बयान में कहा है कि उक्त गेहूँ के कट्टे कमलेश मीना के होना बताया हैं।

ग्राम पंचायत पापडदा तहसील नांगल राजावतान के उचित मूल्य दुकानदार श्री कमलेश मीना की जांच दिनांक 07.2.2017 को थाना नांगल राजावतान द्वारा पकडी गई गेहूँ से भरी पिकअप संख्या आर.जे.14–जी.डी.–6937 में 61 कट्टे हाथ से सिले हुए जिसमें 41 कट्टे जूट के व 20 कट्टे प्लास्टिक के होने की थाने से तहरीर प्राप्त होने पर जांच प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान द्वारा की गई। जांच में इनका कुल वजन मय बारदाना 34.80 क्वि0 गेहूँ पाया गया। पकडी गई पिकअप के वाहन चालक श्री योगेश कुमार मीना पुत्र श्री सुखराम मीना ने अपने बयान में उक्त गेहँ ग्राम पंचायत पापडदा के उचित मूल्य दुकानदार श्री कमलेश मीना का होना बतया जिसे वह ओम इण्डिस्ट्री दौसा ले जा रहा होना बताया गया। उक्त जांच रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान द्वारा जिला रसद कार्यालय में दिनांक 09.2.2017 को प्रस्तुत की। जिस पर डीलर के विरूद्ध प्रकरण सं0 40/2017 दर्ज कर आदेश क्रमांक रसद/अभियोग/2017/363 दिनांक 10.2.2017 द्वारा डीलर श्री कमलेश मीना उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए अग्रिम आदेशों तक के लिये निलम्बित किया गया तथा जांच रिपोर्ट में पायी गई गंभीर अनियमितताओं के कारण कार्यालय पत्रांक 401 दिनांक 13.2.2017 द्वारा दोषी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना नांगल राजावतान में दर्ज कराये जाने हेतु प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान को निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में प्रथम सूचना रिपोर्ट 33/2017 दर्ज करवाई गई। डीलर द्वारा की गई अनियमितताओं बाबत कार्यालय पत्रांक 453 दिनांक 20.2.2017 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। जिसका जवाब दिनांक 08.3.2017 को प्रस्तुत कर दिया गया। अपीलार्थी को ग्राम सेवा समिति पापडदा उचित मूल्य दुकान का अटेचमेन्ट लगा रखा था। जिसका नवम्बर 2016 से आवंटन प्रार्थी को ही दिया जा रहा था और वितरण भी प्रार्थी द्वारा ही उपभोक्ताओं को किया जा रहा था। प्रार्थी की दुकान में जगह कम होने के कारण राशन सामग्री जीएसएस पापड़दा की पूर्व निर्धारित जीएसएस की दुकान पर ही उतरवा कर वितरित की जा रही थी। जिसकी जानकारी प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान को पूर्व से ही थी। प्रार्थी निरीक्षण के वक्त मौके पर उपस्थित नहीं था, रिश्तेदारी में आवश्यक काम से गया हुआ था। प्रार्थी की अनुपस्थिति में दुकान की जांच करवाने हेतु सहयोग के लिये प्रार्थी ने चाचा के लड़के गोपाललाल मीना को जांच कराने हेतु भेजा था जिसने दुकान की जांच करवा दी थी। उसे जीएसएस पर रखे हुए गेहूँ के बारे में जानकारी नहीं थी। इस कारण निरीक्षण के समय वह नहीं बता सका। प्रार्थी को दिये गये नोटिस के जवाब में स्पष्ट रूप से 1426.500 कि.ग्रा. गेहूँ जीएसएस की दुकान पर रखा था, श्रीमान चाहे तो जांच करवा सकते हैं, नोटिस के जवाब में स्पष्ट अंकित किया था। किन्तु इसके उपरान्त भी जिला रसद अधिकारी के द्वारा प्रार्थी के जीएसएस की दुकान पर जाकर कोई जांच नहीं की। जबकि पुलिस द्वारा एफसीआई से भेजा गया पीडीएस का गेहूँ के 29 कट्टे प्रार्थी ने पुलिस को जप्त करा दिये थे। इससे यह तथ्य स्पष्ट है कि दिनांक 7.2.2017 को थाना नांगल राजावतान द्वारा पकडी गई गेहूँ से भरी पिकअप संख्या आर.जे.14–जीडी–6937 में 61 कट्टे हाथ से सिले हुए जिसमें 41 कट्टे जूट के व 20 कट्टे प्लास्टिक के थे, जिसकी जांच पुलिस थाना द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक योगेश चन्द मिश्रा द्वारा कराई गई थी, उसका प्रार्थी से कोई संबंध नहीं है। पुलिस द्वारा जो 61 कट्टे जप्त किये गये उनकी हाथ से सिलाई की हुई थी और जांच में यह साबित नहीं हो पाया कि जप्तशुदा कट्टे पीडीएस के ही हो, क्यों कि इस बाबत ना तो एफसीआई से और ना ही राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम दौसा से ऐसी कोई साक्ष्य संकलित की हो जिससे यह साबित हो कि जप्तशुदा 61 कट्टे पीडीएस के हैं और एफसीआई द्वारा खाद्य निगम को एवं खाद्य निगम द्वारा प्रार्थी को जो भेजे गये हों वो ही हो। क्यों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि इन कट्टों पर हाथ से सिलाई की हुई थी। जबकि एफसीआई के कट्टों पर डबल सिलाई होती है। इसके अलावा काश्तकारों द्वारा भी अपनी उपज को एफसीआई के उपयोग किये हुए कट्टों में भरकर विक्रय हेतु बाजार में ले जाया जाता है। ऐसे कट्टे कहीं भी बारदाना की दुकानों पर सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जप्तशुदा 61 कट्टों का प्रार्थी से कोई संबंध नहीं है और न ही जांच से साबित हुआ है। इसलिये इसके आधार पर प्रार्थी का निलम्बन अनुचित व अवैध है।

वितरण व स्टॉक रजिस्टर का मिलान करने पर मौके पर जो 1426.500 कि.ग्रा. स्टॉक में प्रार्थी की गैर मौजूदगी में कम पाया गया है वो माल जीएसएस के भवन में प्रार्थी द्वारा जीएसएस से किराये पर ली गई दुकान में रखा हुआ था। दुकान जीएसएस द्वारा प्रस्ताव लेकर प्रार्थी को किराये पर दी गई थी और पुलिस के द्वारा मांगने पर जीएसएस की दुकान से ही ट्रेक्टरों में भरकर माल को थाने पर पहुँचाया था।

जिला रसद अधिकारी द्वारा अभियोग सं0 40 / 2017 के निर्णय दिनांक 8.5.2017 के द्वारा यह तथ्य असत्य अंकित किया गया है कि डीलर द्वारा गेहूँ अन्यत्र रखने का तथ्य कार्यालय में अवगत करा सकता था। जवाब में अंकित किया गया है कि गेहूँ अन्यत्र जीएसएस की दुकान पर रखा है जो जांच के लगभग एक माह बाद प्रस्तुत किया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा यह तथ्य गलत अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा लगभग 13 दिन में ही नोटिस का जवाब दिया गया था जिसमें यह तथ्य स्पष्ट अंकित करने एवं मौखिक रूप से यह बता दिये जाने कि माल जीएसएस पर रखा हुआ है के बाद भी जीएसएस की दुकानों में जाकर जिला रसद अधिकारी द्वारा माल का निरीक्षण नहीं किया गया। जो इस तथ्य को साबित करता है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत एवं असत्य कारणों से प्राधिकार पत्र निरस्त किया है।

भौतिक सत्यापन में 49.650 कि.ग्रा. चीनी दुकान में अधिक पाई गई थी। जिसके जवाब में निवेदन किया था कि बीपीएल राशनकार्डधारी पोस मशीन पर अंगूठा लगाकर इन्द्राज करवा चुके थे जो गेहूँ तो ले गये थे लेकिन पैसा नहीं होने के कारण चीनी वहीं पड़ी थी। जिनके शपथ पत्र दूसरी पेशी पर प्रार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत करने के बावजूद भी शपथ पत्रों का निर्णय में हवाला नहीं दिया जाकर अनुचित रूप से प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है।

कैरोसीन राशनधारियों के पोस मशीन में अंगूठा निशानी लगा दी गई थी किन्तु तकनीकी कमी होने के कारण पोस मशीन से पर्ची नहीं निकली इसलिये बाद में आकर ले जाने की कहकर गये थे। उन उपभोक्ताओं के भी शपथ पत्र प्रार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे किन्तु उन ध्यान नहीं दिया गया।

प्रार्थी द्वारा मूल्य सूची का प्रदर्शन किया गया था। किन्तु नोटिस बोर्ड बाहर होने के कारण शरारती बच्चों ने मिटा दिया था। राज्य सरकार के द्वारा भी छोटी मोटी तकनीकी कारणों से उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध कार्यवाही को अनुचित माना है। प्राधिकार पत्र नक्शा तथा एनएफए की सूची प्रार्थी के भाई से नहीं मांगी गई और ना ही बाद में जब प्रार्थी देने गया तो उससे ली गई।

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई जांच में डीलर द्वारा निम्न अनियमितताऐं पायी गईः–

1. वितरण एवं स्टॉक रजिस्टर का मिलान करने पर मौके पर 1426.500 कि.ग्रा. गेहूँ स्टॉक में कम पाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. वितरण एवं स्टॉक रजिस्टर का मिलान करने पर मौके पर 49.650 कि.ग्रा. चीनी अधिक पायी गई।
3. वितरण एवं स्टॉक रजिस्टर का मिलान करने पर मौके पर 8 लीटर कैरोसीन अधिक पाया गया।
4. मौके पर मूल्य एवं स्टॉक की सूची बोर्ड पर सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया और न ही एनएफएसए सूची चस्पा पाई गई।
5. मौके पर डीलर के भाई के द्वारा प्राधिकार पत्र व नक्शा तथा एनएफए की सूची मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं की गई।

डीलर द्वारा अपने जवाब में स्वयं स्वीकार किया है कि वक्त जांच दुकान के प्रमाणित व्यवसाय स्थल पर रिकार्ड मुताबिक गेहूँ का स्टॉक नहीं था। उसके जवाब में अटैच दुकान का गेहूँ 1426.500 कि.ग्रा. जीएसएस की दुकान पर रखा होना बताया किन्तु जीएसएस की दुकान पर रखे जाने के संबंध में सक्षम आदेश/स्वीकृत नक्शा आदि अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य वक्त जांच/कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे यह सिद्ध होता है कि डीलर द्वारा उसके विरूद्ध प्रकरण दर्ज होने के बाद गेहूँ अन्यत्र रखे होने का मनघडन्त बहाना प्रतीत होता है। यदि डीलर के पास गेहूँ अन्यत्र रखा होता तो मौके पर जांचकर्ता को अवगत कराना चाहिये था। डीलर स्वयं मौके पर नहीं होने पर उक्त तथ्य अगले कार्य दिवस को कार्यालय में अवगत करा सकता था परन्तु डीलर द्वारा उक्त तथ्य जवाब में अंकित किया गया जो जांच के लगभग एक माह बाद प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार भौतिक सत्यापन में 49.650 कि.ग्रा. चीनी जो अधिक पायी गई के संबंध में डीलर का यह जवाब कि उसके द्वारा पॉश मशीन में अंगुठा लगाकर उपभोक्ताओं का इन्द्राज कर दिया गया था लेकिन उपभोक्ताओं के पास पैसे नहीं होने से उनको चीनी वास्तव में नहीं दी गई, यह कथन उचित नहीं है। इसी प्रकार डीलर द्वारा पॉश मशीन में अंगुठा निशानी लगाकर तकनीकी कमी के कारण उपभोक्ताओं को पर्ची न निकलने पर बाद में आकर ले जाने की बात भी उपभोक्ताओं को गुमराह करना प्रतीत होता है। जिससे स्पष्ट है कि डीलर द्वारा उक्त राशन सामग्री उपभोक्ताओं को वितरण के समय अंगूठा निशानी लगाकर अवैध रूप से वितरण दर्शाकर उपभोक्ताओं को वितरण पर्ची न दी जाकर उनका दुरूपयोग करने की नीयत से रखा जाना सिद्ध होता है। भौतिक सत्यापन में उपभोक्ता अमर भौतिक सत्यापन पर कम मिला 1426.500 कि.ग्रा. गेहूँ का डीलर द्वारा दुरूपयोग कर कालाबाजारी की गई है।

डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 20 व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,5,10,11 व 18 व खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इसलिये अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.5.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रार्थी उचित मूल्य दुकानदार को दिये गये नोटिस के बिन्दु सं0 1 के अनुसार वितरण एवं स्टॉक रजिस्टर का मिलान करने पर मौके पर 1426.500 कि.ग्रा. गेहूँ स्टाक में कम पाया गया। जिसके जवाब में अपीलांट द्वारा व्यक्त किया गया है कि ग्राम सेवा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

समिति पापड़दा उचित मूल्य दुकानदार का अटेचमेन्ट लगा रखा होना एवं जिसका आवंटन अपीलांट डीलर के ही होना तथा डीलर की दुकान में जगह नहीं होने के कारण राशन सामग्री जीएसएस पापड़दा की दुकान में उतरवा दिया जाना व्यक्त करते हुए 1426.500 कि.ग्रा. गेहूँ जीएसएस की दुकान पर रखा होना अवगत कराया गया है। किन्तु जीएसएस दुकान पर रखे जाने के सक्षम आदेश /स्वीकृति नक्शा आदि अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य वक्त जांच/कार्यालय में अथवा बहस के दौरान इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.5.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 05 नवम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा